

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
05(अरब)

पत्रांक: यो0ब02/1-21/2018- /यो0वि0,पटना/दिनांक 16 जनवरी, 2019
प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

राजीव कुमार,
उप निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु
शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम उप शीर्ष-0117 मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता
योजना, मांग संख्या-35, विपत्र कोड-35-2235602000117 के अंतर्गत
विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में कुल
₹1,04,75,00,000/- (एक अरब चार करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) मात्र का
आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 08 स्वी0 दिनांक 08.01.2019
के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य
कार्यक्रम उप शीर्ष-0117 मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या-35, विपत्र
कोड-35-2235602000117, के अंतर्गत आवेदको को स्वयं सहायता भत्ता की राशि भुगतान
करने हेतु विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में कुल
₹1,04,75,00,000/- (एक अरब चार करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) मात्र राशि आवंटित की
जाती है।

2. आवंटित की जा रही राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप
निदेशक-सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार होंगे।
राशि का आहरण कर बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण को उपलब्ध करायेंगे। प्रत्येक
परिस्थिति में व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. आवंटित की जा रही राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0,
दिनांक 17.04.1998 एवं अन्य अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रतिवेदन विभागीय बजट शाखा, योजना एवं विकास
विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

5. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 08 स्वी0 दिनांक 08.01.2019 के आलोक में नियमानुसार राशि का आहरण कर व्यय किया जाएगा।

विश्वासभाजन
(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0ब02/1-21/2018-^{03(आवंत)}/यो0वि0,पटना/दिनांक 16 जनवरी, 2019
प्रतिलिपि: महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार,पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0ब02/1-21/2018-^{03(आवंत)}/यो0वि0,पटना/दिनांक 16 जनवरी, 2019
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0ब02/1-21/2018-^{03(आवंत)}/यो0वि0,पटना/दिनांक 16 जनवरी, 2019
प्रतिलिपि: मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना/मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0ब02/1-21/2018-^{03(आवंत)}/यो0वि0,पटना/दिनांक 16 जनवरी, 2019
प्रतिलिपि: श्री इन्द्रजीत चौरसिया, संयुक्त निदेशक/आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ एवं लेखा शाखा/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु) योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव